पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

दिवानी रिट अधिकारिता मामला संख्या- 1279/2022

==========

उमेश कुमार सिंह पुत्र लक्ष्मण प्रसाद सिंह निवासी अशोक निवास, विंध्यवासिनी पथ, मेनका होटल, थाना कदमकुआं, जिला पटना

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से, बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना 5.जिला परिवहन अधिकारी, पटना
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पटना
7. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अपने निदेशक, पटना के माध्यम से।

.....उत्तरदातागण

==========

साथ

सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 871/2023

==========

विजय सिनेमा कैम्पस, नवादा के निवासी स्वर्गीय सुरेश भट्ट के पुत्र प्रकाश कुमार भट्ट, पी. ओ. और पी. एस.-नवादा, जिला-नवादा।

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।

2. प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।

3. राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।

4. विशेष अतिरिक्त सचिव, राज्य परिवहन, बिहार, पटना।

5. अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।

6. संयुक्त परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।

7. उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।

8. सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिहार।

9. सभी जिला परिवहन अधिकारी, बिहार।

..... उत्तरदातागण

==========

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226 - जनहित याचिका

पंजीकरण संख्या के व्यापक वितरण और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई है।

निर्णित किया जाता है कि **एक राहगीर खाली हाथों से अदालत का रुख नहीं कर सकता है और दायर याचिका में उन्हें शामिल किये बिना सभी और विभिन्न लोगों के खिलाफ आरोप नहीं लगा सकता है।---**

बिना किसी पुष्टि के सर्वव्यापी आरोपों को शुरुआत में ही खारिज कर देना चाहिये।

रिट याचिका को खारिज किया गया। [पारा 8]

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

दिवानी रिट अधिकारिता मामला संख्या- 1279/2022

==========

उमेश कुमार सिंह पुत्र लक्ष्मण प्रसाद सिंह निवासी अशोक निवास, विंध्यवासिनी पथ, मेनका होटल, थाना कदमकुआं, जिला पटना

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से, बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना 5.जिला परिवहन अधिकारी, पटना
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पटना
7. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अपने निदेशक, पटना के माध्यम से।

.....उत्तरदातागण

==========

साथ

सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 871/2023

==========

विजय सिनेमा कैम्पस, नवादा के निवासी स्वर्गीय सुरेश भट्ट के पुत्र प्रकाश कुमार भट्ट, पी. ओ. और पी. एस.-नवादा, जिला-नवादा।

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।

2. प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।

3. राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।

4. विशेष अतिरिक्त सचिव, राज्य परिवहन, बिहार, पटना।

5. अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।

6. संयुक्त परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।

7. उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।

8. सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिहार।

9. सभी जिला परिवहन अधिकारी, बिहार।

..... उत्तरदातागण

==========

उपस्थिति:

(सिविल रिट अधिकारिता मामले संख्या 1279/2022)

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता
	:	श्री अरुण, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री सर्वेश कुमार सिंह, ए. ए. जी.-13
	:	श्री रोहिताभ दास, ए.ए.जी.-13 के ए.सी.
सी. बी. आई. के लिए	:	श्री अवनीश कुमार सिंह, एस. पी. पी.
	:	श्री अंबर नारायण, अधिवक्ता

(सिविल रिट अधिकारिता मामले संख्या 871/2023)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री सुरेंद्र कुमार मिश्रा

उत्तरदाताओं के लिए : श्रीमती अनुराधा सिंह (एससी-21)

: श्री राकेश प्रभात, एससी-21 के एसी

==========

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद

मौखिक आदेश

(द्वाराः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक- 01-05-2023

दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता ने जनहित में राज्य के परिवहन विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (इसके बाद 'एन. आई. सी.' के रूप में संदर्भित) के खिलाफ पंजीकरण संख्या के व्यापक वितरण और बी. एस.-3 वाहनों के पंजीकरण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करते हुये किया गया है, जिन राहतों का अनुरोध किया गया है, वे हैं (i) बिहार राज्य के सभी जिला परिवहन कार्यालयों में भ्रष्ट कदाचार, (ii) एन. आई. सी. की मिलीभगत और (iii) इस न्यायालय द्वारा ऐसी जांच की निगरानी और (iv) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की जाने वाली समानांतर कार्यवाही की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अन्वेषण का निर्देश देना। शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त संगठन के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप लगाने के बावजूद एन. आई. सी. को रिट याचिका में शामिल नहीं किया गया है।

2. याचिकाकर्ता ने ज्ञापन में विस्तार से बताया कि 2009 तक एक रजिस्टर रखा गया था जिसमें वाहन पंजीकरण को मैन्युअल रूप से दर्ज किया गया और उसके बाद, वाहन I नामक एक सॉफ्टवेयर लाया गया, जिसमे विशेष रूप से डेटा एंट्री ऑपरेटरों के रूप में लगे अनुबंध कर्मचारियों के माध्यम से व्यापक नकली पंजीकरण की सुविधा प्रदान की, क्योंकि विभाग में कोई कुशल व्यक्ति नहीं थे। वाहन I ने डीलरों द्वारा सीधे पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान की, जिन्हें नंबरों की एक श्रृंखला आवंटित की गई थी और बाद में इस सॉफ्टवेयर को वाहन II और फिर वाहन IV नामक एक उन्नत सॉफ्टवेयर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि विभाग में बेईमान तत्वों ने एन. आई. सी. के साथ मिलकर एक ऐसी विधि विकसित की जिसमें वाहन I के समय वाहन विक्रेताओं को आवंटित गैर-उपयोग किए गए पंजीकरण नंबरों का उपयोग बीएस III वाहनों और चोरी किए गए वाहनों को पूर्वव्यापी रूप से पंजीकरण देने के लिए किया गया था। विक्रेताओं, परिवहन अधिकारियों, एन. आई. सी. के अधिकारियों और अनुबंध के आधार पर नियुक्त डेटा एंट्री ऑपरेटरों के बीच एक अपवित्र सांठगांठ थी। यह बताया गया है कि लेखापरीक्षा में, हालांकि घोटाले की गहराई और विस्तार का पता नहीं चल सका, लेकिन 23 वाहन पाए गए जिनके लिए पंजीकरण के समय कर का भुगतान नहीं किया गया था। अनुलग्नक-1 को लेखापरीक्षा रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो दुर्भाग्य से परिवहन विभाग के कर्मचारियों में से एक द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब है; जो रिट याचिका दायर की गई लापरवाही और संवेदनहीनता को उजागर करता है।

3. याचिकाकर्ता ने एक निर्णय का भी उल्लेख किया है, ***एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 2017 मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय एससी 2430*** ने 31.03.2017 से बीएस III वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया। यह आरोप लगाया गया है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों ने एन. आई. सी. के अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार राज्य के लिए लागू किए गए सॉफ्टवेयर में खामियों का उपयोग

करके और उसी कार्यप्रणाली द्वारा परिवर्तित पंजीकरण का उपयोग करके कई बी. एस. III वाहनों को पंजीकरण दिया, जैसा कि 31.03.2017 से पहले जारी किया गया था। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का विशेष रूप से नाम लिया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका परिवहन विभाग में बहुत प्रभाव है, जिसे रिट याचिका में शामिल नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता यह भी बताता है कि विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा शुरू नहीं किया गया है।

4. C.W.J.C. No.871/2023 में याचिकाकर्ता ने 01.04.2017 के बाद जो बीएस III मॉडल वाहनों के पंजीकरण से भी संबंधित है, जिसे कथित रूप से गंभीर स्वास्थ्य खतरा है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी उल्लंघन है।

5. C.W.J.C. संख्या- 1279/2022 में, कई हलफनामे दायर किए गए थे और हम परिवहन विभाग के ओएसडी द्वारा 27.03.2023 पर दायर किए गए अंतिम हलफनामे का उल्लेख करते हैं। यह बताया गया है कि वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से की गई धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों के बारे में पता चलने पर, परिवहन विभाग के पास चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया और एक लिपिक के खिलाफ कार्यवाही की गई, जिसका कारण बताए जाने के नोटिस का जवाब रिट याचिका में अनुलग्नक-1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह बताया गया है कि एक जिला परिवहन अधिकारी, जो घोटाले में शामिल पाया गया था, के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और बिहार सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता का मामला दर्ज किया गया है। जब बैकलॉग प्रविष्टियों के प्रावधान का दुरुपयोग विभाग के संज्ञान में आया और 4 सदस्यीय जांच दल की एक रिपोर्ट द्वारा इसके प्रभावों से अवगत कराया गया, तो इस मुद्दे का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए एक और समिति का गठन किया गया कि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं को कैसे रोका जा सकता है। उक्त समिति की रिपोर्ट अनुलग्नक-एल के रूप में प्रस्तुत की गई है। एन. आई. सी. ने

उपयोग में आने वाले वाहनों की बैकलॉग प्रविष्टियों के संबंध में वाहन सॉफ्टवेयर में भी उपयुक्त संशोधन किए हैं और ऐसी प्रविष्टियों को पोर्टल पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, केंद्रीय रूप से एन. आई. सी. द्वारा जो अनुलग्नक-एम से स्पष्ट है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एन. आई. सी. को भी संबोधित किया है और उपयोग में न आने वाले पंजीकृत वाहनों और मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंसों के बैकलॉग प्रवेश के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, ताकि बैकलॉग प्रवेश और डेटा के अद्यतन की प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सके। दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ दस्तावेजों को अपलोड करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

6. यह तर्क दिया जाता है कि अब बैकलॉग प्रविष्टि की अनुमति केवल उपयोग में आने वाले पंजीकृत वाहनों के लिए है और प्रविष्टियां जिला परिवहन कार्यालय में हाथ से लिखे गये अभिलेख पर आधारित होंगी; जिसे पंजीकरण प्राधिकरण, यानी जिला परिवहन अधिकारी (डी. टी. ओ.) की जिम्मेदारी बनाई गई है। जहां तक जिला परिवहन कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा बैकलॉग प्रविष्टि के प्रावधान के दुरुपयोग का संबंध है, ऐसी अनियमितता में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें गांधी मैदान थाना मामला No.227/23 है। घोटाले में शामिल पाए गए अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं को भी वापस भेज दिया गया। वाहन सॉफ्टवेयर में धोखाधड़ी से प्रवेश किए गए वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने के साथ-साथ संबंधित डीलरों के खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लाइसेंस प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55 (5) के अनुसार धोखाधड़ीपूर्ण बैकलॉग प्रविष्टियों के माध्यम से पंजीकृत 575 वाहनों में से 475 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। शेष वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने के लिए आगे की कार्यवाही भी जारी है। मुजफ्फरपुर, भोजपुर और जमुई जिलों में इसी तरह के धोखाधड़ी वाले लेनदेन की जांच के लिए तीन जांच दलों का गठन किया गया है। परिवहन विभाग को इस प्रकार प्रविष्टियों

ने मामले में आवश्यक कार्रवाई की है और कार्यवाही जारी है। हम संतुष्ट हैं कि विभाग इसमें शामिल मुद्दों के प्रति सतर्क है और परिवहन विभाग के पोर्टल में खामियों का उपयोग करके धोखाधड़ीपूर्ण बैकलॉग प्रविष्टियों के लिए सुधारात्मक उपाय किए गए हैं।

7. जहाँ तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का संबंध है, परिवहन विभाग, बिहार ने दिनांक 17.05.2017 को संसूचना जारी किया है जिसे C.W.J.C में अनुलग्नक-बी श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें जिला परिवहन अधिकारियों और 871/23 मोटर वाहन अन्वेषकों को निर्देश दिया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों को पालन किया जाना है। परिवहन विभाग ने भी जांच करने के लिए एक दल का गठन किया है क्योंकि डी. टी. ओ. द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज अपर्याप्त पाए गए हैं।

8. हम देखते हैं कि बिहार राज्य के परिवहन विभाग द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं और इसके अपने कर्मचारियों द्वारा की गई गड़बड़ी, यदि कोई हो, का पता चला है और इसे पूर्ववत करने के लिए कार्यवाही की गई है। हमारा मानना है कि इस समय सी. बी. आई. जांच का निर्देश देने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम दोनों रिट याचिकाओं में लगाए गए व्यापक आरोपों से भी प्रभावित नहीं हैं जो ठीक से प्रमाणित नहीं हैं। एक जन कल्याण भाव वाला व्यक्ति को, जब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होता है, तो यह सुनिश्चित करना होता है कि पुष्टि के लिए कुछ विवरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसे अब सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा प्राप्त की जाती है। एक राहगीर खाली हाथों से अदालत का रुख नहीं कर सकता है और दायर याचिका में उन्हें शामिल किए बिना सभी और विभिन्न लोगों के खिलाफ आरोप नहीं लगा सकता है। हम देखते हैं कि C.W.J.C. संख्या 1279/2022 में, जिस नामित व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, उसे शामिल नहीं किया गया था। 2023 के C.W.J.C. संख्या 871 में, 8वें और 9वें उत्तरदाताओं को सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों और सभी जिला परिवहन कार्यालयों, बिहार

के रूप में संदर्भित किया गया है, जो कि उठाए गए आरोपों का जवाब देने के उद्देश्य से पक्षों को शामिल करने का तरीका नहीं है। बिना किसी पुष्टि के सर्वव्यापी आरोपों को शुरुआत में ही खारिज कर देना चाहिए।

9. किसी भी स्थिति में, चूंकि रिट याचिका पर विचार किया गया था और प्रतिवादियों ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है, जिससे हम संतुष्ट हैं, इसलिए हम रिट याचिका को बंद कर देते हैं।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायधीश)

(मधुरेश प्रसाद न्यायाधीश)

शरून

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।